18.12.2014	वकील उभयपक्ष हाजिर। वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश कि शामिल पत्रावली हुई। वकील अप्रार्थी द्वारा पूर्व में लिखित बहस पेश की गई है। पत्रावलि में विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं० 3180 रकबा 13 बिस्वा में शंकर पिता भीखा ब्राह्मण द्वारा अपना 4 बिस्वा दिनांक 28/5/1965 को पक्के विक्रय पत्र किशोर पिता कालू धाकड़ को विक्रय किया गया। किशोर पिता कालू द्वारा अपना हिस्सा पन्नालाल ब्राह्मण को 11.6.1991 को बेचान किया गया। उक्त विक्रय पत्र का नामान्तरकरण नहीं खुलने से उक्त आराजियात खातेदार शंकर का नाम दर्ज रिकॉर्ड रह गया जिससे वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त बेचान के सम्बन्ध में शंकर के वारिसान द्वारा 18.11.1999 को एक इकरार नामा लिखा गया है। हाल पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 01 का नाम दर्ज रह जाने के आराजियात खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है अत: अप्रार्थी संख्या 01 को अस्थाई निषेधाज्ञा से

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	पाबन्द फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी ने उक्त तथ्यों का खंडन करते हुए मौखिक व लिखित बहस में निवेदन किया कि विक्रय पत्र को फर्जी व बोगस बताया गया। साथ ही इकरारनामा दिनांक 18.11.1999 के क्रम में निवेदन किया कि उक्त के क्रम में FIR दर्ज करवायी गयी जिसके प्रकरण संख्या 257/2023 है जो अभी जांच में है। व इस न्यायालय द्वारा पूर्व के जारी स्थगन हटाने व प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने लिखित बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज को फर्जी बताया गया है परन्तु उक्त कि अपील सिविल न्यायालय में नहीं की है व जब तक उक्त विक्रय पत्र निरस्त किये जाते है। तब तक यह प्रभावहीन नहीं माना जा सकता है व फर्जी होने का भी कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही FIR संख्या 257/2023 में पुलिस ने अनुसंधान करके F.R. लगाई है। व अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द फरमाया जावे। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया लिखित बहस का मनन किया। पत्रावली में दिनांक 21.8.2020 से राजस्व रेकार्ड का स्थगन जारी है। प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मूल वाद	

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुए
	में तनकीयात कायम कर पक्षकारान साक्ष्य सबूत के आधार पर अन्तिम निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उक्त तहलिया पत्र में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। अतः यह निर्णय लिया जाता है कि मूल वाद 45/2020 के निर्णय तक मौजा कपासन प0 ह0 कपासन तहसील कपासन की आ0 स0 2228, 2229 कुल किता 02 कुल रकबा 0.14 हेक्टेयर में भेरूलाल पिता शंकर लाल के 1/2 हक हिस्से तक अप्रार्थीगण यथावत रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली कैफियत मुकदमा दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया।	

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़